भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2615

(19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों का सर्वेक्षण

2615. श्री हँसमुखभाई एस. पटेल:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के शेष लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पीएमएवाई-जी के शेष लाभार्थियों के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके द्वारा पात्र ग्रामीण परिवारों को मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के समग्र लक्ष्य के लिए सहायता प्रदान किया जा रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी)-2011 के तहत निर्धारित आवास वंचन मापदंडों और बहिष्करण मानदंडों और संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया को पूरा करने पर आधारित है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थी की पात्रता की पहचान करने के लिए एसईसीसी 2011 डेटाबेस में इन मानदंडों को लागू किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आवास + सर्वेक्षण किया, जिन्होंने एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण के तहत छूट जाने का दावा किया था और इस प्रकार संभावित पात्र लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की थी। आवास+ सर्वेक्षण के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 3.90 करोड़ संभावित पात्र परिवारों को पंजीकृत किया गया और ग्राम सभाओं द्वारा रिमांड/सत्यापन के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 2.79 करोड़ संभावित रूप से पात्र पाए गए थे।

2.95 करोड़ परिवारों के समग्र अधिदेश में से, एसईसीसी 2011 सर्वेक्षण डेटाबेस से 2.04 करोड़ लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई है और 91 लाख परिवारों (2.95-2.04) के अंतर को पाटने के लिए, ग्राम सभाओं द्वारा उचित सत्यापन प्रक्रिया और उसके बाद अपीलीय प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवास + सर्वेक्षण डेटाबेस का उपयोग किया जा रहा है।

अब तक पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित 2.95 करोड़ मकानों के समग्र अनिवार्य लक्ष्य में से 2.94 करोड़ से अधिक मकानों को लाभार्थियों को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और दिनांक 14.12.2023 तक 2.51 करोड़ से अधिक मकानों को पहले ही पूरा कर लिया गया है।

इस समय मार्च, 2024 से आगे पीएमएवाई-जी के अगले चरण को शुरू करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

*****